न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सं. 35 / 2025
राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

अनवान

प्रार्थीगण – 1. भूरचंद 2. जेठाराम पि. मेराजराम जाति जाट निवासी चूली डूंगरी तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. कानाराम 2. दमाराम 3. भंवरलाल 4. भोमाराम पि. खेमाराम जाति जाट निवासी चूली डूंगरी तहसील चौहटन जिला बाड़मेर
5. तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – श्री शाकर खान एच
विप्रार्थी – श्री बलदेवसिंह राठौड़

उपखण्ड अधिकारी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 11.11.2025

प्रार्थीगण के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा चूली डूंगरी पटवार हल्का चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा सं. 404 / 31 रकबा 9.8824 हैक्टयर एवं इसी मूल खसरा नम्बर 31 में विप्रार्थी सं. 1 से 4 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 414 / 31 रकबा 9.8824 हैक्टेयर का आया हुआ है। विवादग्रस्त भूमि मौजा चूली डूंगरी पटवार हल्का चौहटन तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 404 / 31 में कुल रकबा 122.02 बीघा (19.7648 हैक्टेयर) भूमि आई हुई थी जो एक ही खातेदार वीरमसिंह पुत्र ठाकराराम के नाम खातेदारी में दर्ज [illegible] उक्त भूमि में से रकबा 9.8824 हैक्टेयर (61.01 बीघा) विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की [illegible] की जो नए खसरा नम्बर 414 / 31 में रकबा 9.8824 हैक्टेयर [illegible] 1 से 4 की खाते[illegible] दर्ज है तथा शेष रकबा 9.8824 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की मा[illegible] को हस्तांतरण की [illegible] खसरा नम्बर 404 / 31 के रूप में प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.02 13:09:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

वर्तमान में राजस्व रेकर्ड जब ऑनलाईन हुआ तब राजस्व कर्मचारियों ने मौके पर कब्जा--काश्त को नजरअन्दाज कर प्रार्थीगण को सूचना दिये बिना गलत तरमीम दी गई जिससे प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व राजस्व रिकॉर्ड की तरमीम में अंतर आ गया। प्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि मौजा चूली डूंगरी पटवार हल्का चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा सं. 404/31 रकबा 9.8824 हैक्टयर, खसरा संख्या 414/31 रकबा 9.8824 हैक्टेयर की वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार आवेदन पत्र के संलग्न के संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने चाहते है, जिस हेतु यह राजस्व आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया किया गया। प्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया बावजूद विप्रार्थी सं. 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री बलदेवसिंह राठौड़ उपस्थित होकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। प्रकरण में तरमीम दुरस्ती संबंधी मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया ।

तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित हुए। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार चौहटन से जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है, स्वीकार है। उसी अनुसार तरमीम दुरस्त की जावे तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण अधिवक्ता तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु सहमत है। इसलिए प्रार्थीगण आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर मौजा चूली डूंगरी पटवार हल्का चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा सं. 404/31 रकबा 9.8824 हैक्टयर, खसरा संख्या 414/31 रकबा 9.8824 हैक्टेयर भूमि की तरमीम तहसीलदार चौहटन द्वारा पेश मौका रिपोर्ट में सलंग्न प्रपत्र 'ए' अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चौहटन की मौका रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को [illegible] न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.02 13:09:02 IST
Reason: SelfAttested

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन